रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 1987/श्रावण 23, 1909
No. 26] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 1987/SRAVANA 23, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कंपनी लि.

बम्बई, 11 अगस्त, 1987

आदेश

सं. एस. सी. आई. सी. आई./सेक. 10/1.—यद्यपि, भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड ने, नौवहन विकास निधि समिति (उत्पादन) अधिनियम, 1986 को, (जिसे इसके बाद "उक्त अधिनियम" कहा गया है) धारा 16 के अर्थों के अन्तर्गत पदाभिहित व्यक्ति के रूप में, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन दिनांक 17 जुलाई, 1987 के अपने नोटिस द्वारा सिधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड को (जिसे इसके बाद "शिप ओनर" कहा गया है) उसमें उल्लिखित केन्द्रीय सरकार के प्रति सभी देनदारियों को पूरी तरह से चुकाने के लिए कहा गया था ।

और यद्यपि शिपओनर ने निर्धारित अवधि के अन्दर-अन्दर उक्त नोटिस का अनुपालन नहीं किया है ।

और यद्यपि भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड को पक्षाभिहित व्यक्ति के रूप में हक प्राप्त हो गया है और उसने उक्त अधिनियम के अध्याय-III के उपबंधों के अधीन विभिन्न विशेष शक्तियों का प्रयोग करने का निर्णय लिया है ।

अब उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अनुसरण में तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत रिसीवर की नियुक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है और घोषणा की जाती है कि--

1. श्रीमती सुमती मोरारजी
2. श्री ए. सी. मुखर्जी
3. श्री एस. रामनाथन
4. श्री एम. वी. शाह
5. श्री पी. वी. राव
6. श्री एन. एस. कुलकर्णी
7. श्री एस. के. भट्टाचार्य
8. वाइस एडमिरल एस. मुकर्जी (सेवानिवृत्त)
9. वाइस एडमिरल के. के. नय्यर (सेवानिवृत्त)
10. श्री अमिताभ चन्द्र
11. श्री एन. एम. पारूलेकर
12. श्री एच. एम. पटेल

शिपओनर के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं ।

यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित होने ही तत्काल प्रभावी हो जाएगा ।

आदेश से,

एम. आर. हेगड़े, कम्पनी सचिव

भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड

THE SHIPPING CREDIT & INVESTMENT COMPANY OF INDIA LIMITED

ORDER

Bombay, the 11th August, 1987

SCICI|Sec. 10|1.—Whereas The Shipping Credit and Investment Company of India Limited (hereinafter "the SCICI") as designated person within the meaning of Section 16 of the Shipping Development Fund Committee (Abolition) Act, 1986 (hereinafter "the said Act") had by its notice under Section 8 of the said Act, dated July 17, 1987, called upon the Scindia Steam Navigation Company Limited (hereinafter "the Shipowner") to discharge in full the dues of the Central Government as stated therein.

And whereas the Shipowner has failed to comply with the said notice within the stipulated period.

And whereas the SCICI, as the designated person has become entitled and has decided to exercise various special powers under the provisions of Chapter III of the said Act.

Now in pursuance of the provisions of Section 10 of the said Act and without prejudice to the appointment of a receiver under Section 9 of the said Act, it is hereby ordered and declared that

1. Smt. Sumati Morarjee
2. Shri A. C. Mukherji
3. Shri S. Ramanathan
4. Shri S. V. Shah
5. Shri P. V. Rao
6. Shri N. S. Kulkarni
7. Shri S. K. Bhattacharya
8. Vice Admiral S. Mookerjee (Retd.)
9. Vice Admiral K. K. Nayyar (Retd.)
10. Shri Amitabh Chandra
11. Shri N. S. Parulekar
12. Shri H. M. Patel

be and they are hereby appointed as directors of the Shipowner.

This order shall come into force immediately upon its being notified in the Official Gazette.

By Order,
M. R. HEGDE, Company Secy.
The Shipping Credit and Investment
Company of India Limited.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987